अध्याय – VI

खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टी

कार्यकारी सारांश

कर संग्रहण में सीमान्त वृद्धि	वर्ष 2010-11 में, शुल्क एवं रॉयल्टी को संग्रहण में पिछले वर्ष से 18.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसे विभाग ने बेहतर नियंत्रण बताया गया।
आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं हुई	विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना से संबंधित कोई सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी, यद्यपि माँग की गयी थी। वित्त विभाग द्वारा भी इस अवधि में लेखापरीक्षा संचालित नहीं किया गया। परिणामत: इसका प्रभाव विभाग में कमजोर आन्तरिक नियंत्रण के रूप में हुआ जिससे पर्याप्त राजस्व का क्षरण हुआ। इससे जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा हुई त्रुटियाँ हमारे द्वारा लेखापरीक्षा संचालित होने तक अनभिज्ञात रह गयी।
हमारे द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये अवलोकनों पर विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान हमने 26,636 मामलों में ₹ 1,210.48 करोड़ के राजस्व प्रभाव के रॉयल्टी का अवनिर्धारण इत्यादि मामलों को उद्घटित किया। इनमें से सरकार/विभाग ने 15,419 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 284.87 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया परन्तु केवल ₹ 104.91 करोड़ की वसूली की गयी। वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान स्वीकार किये गये आपत्तियों की तुलना में वसूली की स्थिति बहुत कम, 13.32 प्रतिशत से 19.98 प्रतिशत के बीच थी।
हमारे द्वारा 2010-11 में संचालित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2010-11 में हमने खनिज रियायत, शुल्क और रॉयल्टी इत्यादि से संबंधित 19 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और 1,156 मामलों में रॉयल्टी के अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं का पता चला जिसमें ₹ 49.88 करोड़ अंतर्ग्रस्त था। वर्ष 2010-11 के दौरान हमारे द्वारा उद्घटित दो मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 20.58 करोड़ का अवनिर्धारण और अन्य कमियों को विभाग ने स्वीकार किया।
इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घटित किया है	इस अध्याय में हम जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने के कारण खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टी के निर्धारण और संग्रहण से सम्बन्धित अवलोकित मामलों में से दृष्टांतस्वरूप चयनित मामले जिसमें ₹ 24.26 करोड़ का राजस्व अन्तर्ग्रस्त है, प्रस्तुत करते हैं। यह चिंता का विषय है कि हमारे द्वारा पिछले कई वर्षों से समान त्रुटियों को बारंबार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है लेकिन विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किया है। हमें यह भी चिंता है कि उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में ये त्रुटियाँ स्पष्ट थीं, जिसे जिला खनन पदाधिकारी पता लगाने में असमर्थ थे।
हमारा निष्कर्ष	**विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है ताकि प्रणाली की कमजोरियों को दूर किया जा सके और हमारे द्वारा बताये गए त्रुटियों की प्रकृति से भविष्य में बचा जा सके।** **हमारे द्वारा बताये गए रॉयल्टी इत्यादि के कम लगाये गये मामलों में वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ करने की भी आवश्यकता है, विशेष कर उन मामलों में जहाँ हमारी बातें स्वीकार कर ली गयी हैं।**

अध्याय - VI : खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टी

6.1 कर प्रशासन

रॉयल्टी का निर्धारण एवं संग्रहण राज्य में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज समानुदान नियमावली, 1960 और झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 के द्वारा शासित होता है। खान एवं भूतत्व विभाग में अधिनियम और नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग और विभागीय स्तर पर निदेशक, खान उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर निदेशक, खान को एक अपर खान निदेशक (अ.खा.नि.) और उप खान निदेशक (उ.खा.नि.) सहायता करते है। राज्य को छः अंचलों[1] में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी एक उ.खा.नि. होते हैं। अंचलों को पुनः 24 जिला खनन कार्यालयों[2] में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.) /सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) होते हैं। जि.ख.प./स.ख.प. रॉयल्टी एवं अन्य खनन बकायों के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) की सहायता प्राप्त होता है जो पट्टाकृत क्षेत्र तथा खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण के निरीक्षण के लिए अधिकृत होते हैं।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृति

नीचे की तालिका एवं चार्ट में वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बजट अनुमानों के विरूद्ध रॉयल्टी एवं शुल्क की वास्तविक प्राप्ति के साथ ही इसी अवधि के लिए कुल कर-भिन्न प्राप्तियों को प्रदर्शित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण वृद्धि (+)/कमी (-)	विचरण की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर भिन्न प्राप्तियों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति की प्रतिशतता
2006-07	1,200.00	1,022.15	(-) 177.85	(-) 15.00	1,250.40	81.75
2007-08	1,362.00	1,177.77	(-) 184.23	(-) 14.00	1,601.40	73.55
2008-09	1,740.00	1,477.94	(-) 262.06	(-) 15.00	1,951.74	75.72
2009-10	2,126.47	1,733.15	(-) 393.32	(-) 18.50	2,254.15	76.89
2010-11	2,086.76	2,055.90[3]	(-) 30.86	(-) 01.48	2,802.89	73.35

---

[1] चाईबासा, डाल्टेनगंज, धनबाद, दुमका, हजारीबाग और राँची ।

[2] बोकारो, चतरा, चाईबासा, डाल्टेनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला और सिमडेगा।

[3] वित्त लेखे (₹ 2,055.90 करोड़) एवं विभाग द्वारा दी गयी सूचना (₹ 2,133.59 करोड़) में वास्तविक प्राप्तियों के आँकड़ों में भिन्नता थी।

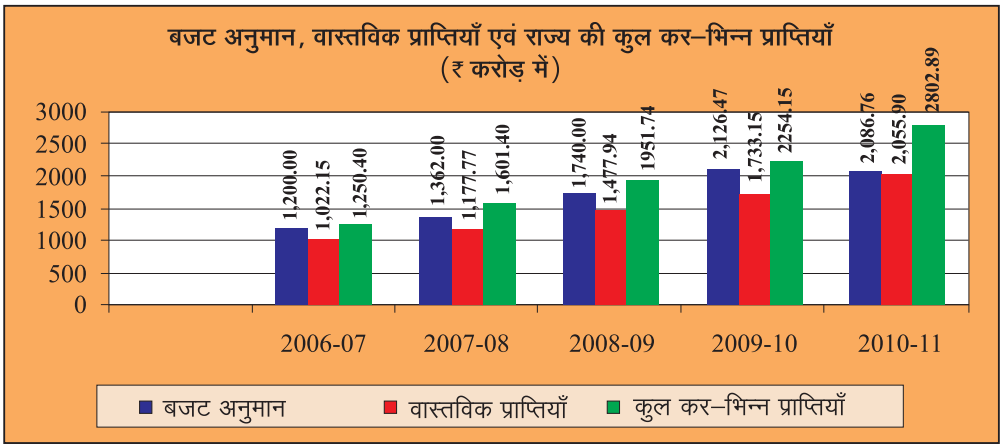

यद्यपि वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में प्राप्तियों में 18.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई, राज्य की कुल कर - भिन्न राजस्व के विरूद्ध प्राप्ति की प्रतिशतता वर्ष 2009-10 में 76.89 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2010-11 में 73.35 प्रतिशत हो गया।

6.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य कलाप

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के गठन के संबंध में हमें सूचना प्रस्तुत नहीं किया गया यद्यपि मांगा गया था। जैसा कि लेखापरीक्षा को बताया गया, वर्ष 2010-11 के दौरान वित्त विभाग द्वारा लेखापरीक्षा संचालित नहीं किया गया।

6.4 लेखापरीक्षा के प्रभाव

राजस्व प्रभाव

पिछले पाँच वर्षों (2005-06 से 2009-10) के दौरान हमने 26,636 मामलों में ₹ 1,210.48 करोड़ राजस्व से संबंधित रॉयल्टी का अवनिर्धारण आदि बताया। इनमें से विभाग/सरकार ने 15,419 मामलों में अर्न्तग्रस्त ₹ 284.87 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। जैसा कि विभाग ने सूचित किया, वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान ₹ 104.91 करोड़ की वसूली की गई है, तथापि, मामलों की संख्या जिनमें वसूली की गई थी, नहीं बताई गई है। विवरण नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्तिगत राशि		स्वीकृत राशि		वसूली गई राशि	स्वीकृत राशि से वसूली गई राशि की प्रतिशतता
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि		
2005-06	22	11,844	231.10	2,547	8.86	1.77	19.98
2006-07	15	592	234.42	228	10.34	1.88	18.18
2007-08	14	10,908	407.80	10,114	203.12	27.05	13.32
2008-09	20	3,043	210.51	2,507	51.29	69.06	134.65
2009-10	11	249	126.65	23	11.26	5.15	45.74
कुल	**82**	**26,636**	**1,210.48**	**15,419**	**284.87**	**104.91**	

6.5 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व का बकाया ₹ 565.21 करोड़ था। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान वर्षवार बकाया राजस्व की स्थिति निम्नांकित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्व शेष	बकाया का अन्त शेष
2006-07	312.73[4]	229.92
2007-08	229.92	290.72
2008-09	290.72	298.35
2009-10	298.35	285.58
2010-11	285.58	565.21

विभाग ने सूचित किया कि 31 मार्च 2011 को बकाया राशि ₹ 565.21 करोड़ था जिसमें से ₹ 361.73 करोड़ की वसूली के लिए भू-राजस्व की तरह नीलामपत्र वाद दायर किए गये। ₹ 155.03 करोड़ और ₹ 17 लाख की वसूली पर क्रमशः विभिन्न न्यायालयों और सरकार द्वारा स्थगित की गई। ₹ 2.94 करोड़ की वसूली पर संशोधन/पुनर्विचार आवेदन के कारण जब कि ₹ 2.59 करोड़ पर पार्टी के दिवालिया होने के कारण रोक लगाई गई। ₹ 5 लाख की राशि अपलिखित होने के योग्य था। ₹ 42.70 करोड़ के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी है।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि कुल राशि का 64 प्रतिशत का समाशोधन नीलामपत्र वाद का निष्पादन नहीं होने के कारण तथा 27 प्रतिशत का समाशोधन न्यायालय वादों का निष्पादन नहीं होने के कारण बकाया था। ₹ 42.70 करोड़ की वसूली हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार विभाग को न्यायालय/नीलामपत्र वादों के सतत अनुश्रवण के द्वारा बकाया वादों के तीव्र निष्पादन हेतु निर्देश देने पर विचार कर सकती है एवं बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू कर भू-राजस्व बकायों की तरह बकायों की वसूली कर सकती है।

[4] जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया राजस्व बकाया ₹ 295.48 करोड़ था तथापि, विघटन का वास्तविक योग ₹ 312.73 करोड़ आकलित किया गया ।

6.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 के दौरान 19 इकाईयों में हमनें 'खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टी' से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की और 1,156 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 49.88 करोड़ की राशि के रॉयल्टी का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलो की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी एवं उपकरों का नहीं/कम लगाया जाना	2	15.25
2.	ब्याज का नहीं लगाया जाना	1	2.54
3.	नीलामपत्रवादों का प्रारम्भ नहीं किया जाना	138	7.98
4.	लौह अयस्क के प्रेषण को छिपाये जाने/अवैध खनन के कारण रायॅल्टी/खनिज मूल्य का नहीं/कम आरोपण	7	4.71
5.	अन्य मामले	1,008	19.40
कुल		**1,156**	**49.88**

वर्ष 2010-11 के दौरान हमारे द्वारा बताये गये दो मामलों में ₹ 20.58 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य चूकों को विभाग ने वर्ष के दौरान स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम ₹ 24.26 करोड़ वसूलनीय वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है:

6.7 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957, खनिज समानुदान (ख.स.) नियमावली, 1960, झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 और झारखण्ड खनिज व्यवसायी (झा. ख.व्य.) नियमावली, 2007 में प्रावधान है कि:

(i) पट्टाक्षेत्र से हटाए गए और उपभुक्त खनिजों पर नियत दर से और निर्धारित तिथि के अन्दर रॉयल्टी का भुगतान हो; और

(ii) वैध पट्टा/अनुज्ञप्ति के बिना उत्खनित खनिज को अवैध खनिज मानते हुए रॉयल्टी के अलावा खनिज मूल्य का भुगतान किया जाय।

खनन एवं भूतत्व विभाग ने कंडिका 6.8 से 6.13 में उल्लेखित मामलों में रॉयल्टी के आरोपण एवं संग्रहण में अधिनियम/नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

6.8 रॉयल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम के प्रावधानों के अंर्तगत पट्टाधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभुक्त खनिज पर द्वितीय अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित दर से रायॅल्टी का भुगतान करना अपेक्षित है। कोयला के विभिन्न श्रेणियों के रॉयल्टी के दर के निर्धारण के लिए केन्द्र सरकार ने द्वितीय अनुसूची में अगस्त 2007 में एक संशोधन के द्वारा एक फॉरमुला विहित किया।

6.8.1 हमने जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ में माँग संचिकाओं की नमूना जाँच के दौरान देखा (फरवरी 2011) कि एक पट्टाधारी ने वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न श्रेणियों का कुल 84.49 लाख मीट्रिक टन कोयले का प्रेषण किया और उपरोक्त प्रेषण पर ₹ 97.47 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया। हमने केन्द्र सरकार द्वारा विहित फार्मुला के आधार पर ₹ 112.12 करोड़ के वास्तविक भुगतेय रॉयल्टी की गणना[5] की। यद्यपि हमने पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन[6] में वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए समान अनियमितता को इंगित किया था, फिर भी खनन पदाधिकारी ने केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना के आधार पर रायॅल्टी की दावा की जाँच के लिए विवरणियों की संवीक्षा नहीं की, परिणाम स्वरूप ₹ 14.65 करोड़ रॉयल्टी का कम भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा मामले को (फरवरी 2011) बताये जाने के बाद सहायक खनन पदाधिकारी ने (फरवरी 2011), जैसा कि हमने इंगित किया था, माँग का सृजन किया। वसूली की प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012) ।

[5] कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित आर.ओ.एम. का आधार पीट हेड मूल्य (निकटवर्त्ती कोयला खान, ईर्स्टन कोल फिल्ड लि. के सेमलौंग कॉलियरी का) के आधार पर संगणित ।

[6] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य राजस्व), झारखण्ड सरकार, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कण्डिका 7.6.2 ।

6.8.2 हमने जिला खनन कार्यालय, गोड्डा, में एक पट्टाधारी के वर्ष 2007-08 और 2008-09 के मासिक विवरणियों की नमूना जाँच के दौरान देखा (जनवरी 2011) कि यद्यपि कोल इण्डिया लि. द्वारा कोयला की नई दर (13 दिसम्बर 2007 से लागू) अधिसूचित किया गया था, 13 दिसम्बर 2007[7] से 31 दिसम्बर 2008 के दौरान पट्टाधारी द्वारा विवरणी में प्रेषित ₹ 97.39 लाख मीट्रिक टन एफ और जी श्रेणी के कोयले पर निम्न दर[8]से रॉयल्टी का भुगतान किया गया। हमने केन्द्र सरकार द्वारा विहित फार्मुला के आधार पर उपरोक्त श्रेणियों के लिए देय रॉयल्टी की ₹ 93 तथा ₹ 85.50 प्रति मीट्रिक टन की संशोधित दर पर गणना किया। इस प्रकार खनन पदाधिकारी ने विवरणियों की उपयुक्त संवीक्षा नही की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.57 करोड़ रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को (जनवरी 2011) बताये जाने के बाद सहायक खनन पदाधिकारी ने कहा (जनवरी 2011) कि मामले की जाँच के पश्चात् कार्रवाई की जाएगी। तदन्तर, उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2012) ।

6.8.3 हमने जिला खनन कार्यालय, धनबाद में दो कोलियरियों के वर्ष 2009-10 के लिए मासिक विवरणियों की संविक्षा के दौरान देखा (दिसम्बर 2010) कि पट्टेधारियों ने ₹ 34.43 लाख मीट्रिक टन वासरी ग्रेड -IV कोयला के प्रेषण पर केन्द्र सरकार द्वारा विहित फार्मुला के आधार पर संगणित ₹ 49.29 करोड़ के स्थान पर ₹ 48.41 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.62 लाख रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने के बाद स.ख.प. ने कहा (दिसम्बर 2010) कि मामले की जाँच के पश्चात् कार्रवाई की जाएगी। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2012)।

6.8.4 हमने जिला खनन कार्यालय, लोहरदगा में एक पट्टाधारी के वर्ष 2009-10 के लिए मासिक विवरणियों की संवीक्षा के दौरान देखा (फरवरी 2011) कि सितम्बर 2009 के अन्त में रेलवे साईडिंग में बॉक्साईट का अन्तशेष 16,000 मीट्रिक टन था जब कि पट्टाधारी ने अक्टूबर 2009 में आरम्भ शेष, 38,000 मीट्रिक टन दिखाया था। अत: सितम्बर 2009 में 22,000 मीट्रिक टन पर रॉयल्टी का भुगतान छूट गया था। स.ख.प. द्वारा विवरणियों की जाँच नहीं किये जाने के कारण ₹ 19.58 लाख रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने के बाद स.ख.प. ने कहा (फरवरी 2011) कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर अप्राप्त हैं (फरवरी 2012) ।

हमने मामले मई 2011 में सरकार को प्रतिवेदित किया एवं सितम्बर 2011 में स्मार पत्र निर्गत किया; उनके उत्तर अप्राप्त हैं (फरवरी 2012) ।

---

[7] 13 से 31 दिसम्बर 2007 के लिए दिसम्बर 2007 में प्रेषित मात्रा का अनुपातिक मात्रा लिया गया है।

[8] श्रेणी एफ.एवं श्रेणी जी कोयला के लिए क्रमशः फरवरी 2008 तक ₹ 87.50 एवं ₹ 81.11 एवं उसके बाद ₹ 88.40 एवं ₹ 81.84 थे।

6.9 कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण रॉयल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम पट्टेधारी द्वारा पट्टाक्षेत्र से हटाये गये एवं उपभुक्त खनिज की मात्रा पर कोयला की श्रेणी के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान करने का प्रावधान करता है। कोलयरी नियंत्रण नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुसार कोलयरी का मालिक इसकी श्रेणी की घोषणा करेगा तथा निर्धारित दर से रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

हमने जिला खनन कार्यालय, धनबाद में भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) के अधीन दो कोलयरियों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों की नमूना जाँच में देखा (दिसम्बर 2010) कि वर्ष 2009-10 के दौरान 2.49 लाख मीट्रिक टन कोयले को हटाया तथा प्रेषित किया गया था। यद्यपि प्रेषित कोयले को बी.सी.सी.एल. (मालिक) द्वारा श्रेणी 'सी' स्टीम और डाईरेक्ट फीड कोल में अधिसूचित किया गया था, कोलयरियों द्वारा मासिक विवरणियों में इसे गलत श्रेणियों 'सी' रन-ऑफ-माइन (आर.ओ.एम.) तथा स्टील श्रेणी -।। में दिखाया गया था और तदनुसार ₹ 7.49 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया गया। हमने कोयलरियों के मालिकों द्वारा घोषित श्रेणी के आधार पर ₹ 8.10 करोड़ भुगतेय रॉयल्टी की गणना की। बी.सी.सी.एल. द्वारा घोषित श्रेणियों के साथ कोलयरियों द्वारा उनके मासिक विवरणियों मे दावा की गई श्रेणी की जाँच नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 60.73 लाख रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने के बाद स.ख.प. ने कहा (दिसम्बर 2010) कि मामले की जाँच की जाएगी। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2012) ।

मामले मई 2011 में सरकार को प्रतिवेदित किये गये एवं सितम्बर 2011 में स्मार पत्र निर्गत किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त हैं (फरवरी 2012) ।

6.10 अन्तर विभागीय आकड़ों की तिर्यक जाँच के अभाव के परिणामस्वरूप रॉयल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन खनन पट्टाधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये या उपभुक्त किसी खनिज पर उस समय खनिज के लिए द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दर से रायॅल्टी का भुगतान किया जायेगा। तदन्तर, सरकार ने रॉयल्टी के कम भुगतान या अपवंचन को रोकने के लिए अन्य विभागों/ उपक्रमों के आँकड़ों/जानकारियों के साथ पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों की तिर्यक जाँच की कोई प्रणाली निर्धारित नही की हैं।

हमने वाणिज्य कर अंचल (वा.क.अ.) चाईबासा और वरीय प्रमण्डलीय वाणिज्य प्रबंधक (प्र.वा.प्र.) चक्रधरपुर, द.पू.रेलवे से लौह अयस्क के प्रेषण से संबधित ऑकड़ों को संग्रहित किया और जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा में पट्टेधारियों के मासिक विवरणियों के साथ इनकी तिर्यक जाँच की। हमने देखा (दिसम्बर 2010) कि वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान दो पट्टेधारियों द्वारा उनके मासिक विवरणियों में 64.71 लाख मीट्रिक टन का प्रेषण दर्शाया गया था और तदनुसार रॉयल्टी का भुगतान किया गया। परन्तु, वा.क.अ. चाईबासा और प्र.वा.प्र. चक्रधरपुर के अभिलेखों में पट्टेधारियों द्वारा इस अवधि में लौह अयस्क का वास्तविक प्रेषण ₹ 76.89 लाख मीट्रिक टन दिखाया गया था। अत: 12.18

लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क के प्रेषण को छिपा लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप पट्टेधारियों द्वारा भुगतेय रॉयल्टी ₹ 2.27 करोड़ का कम निर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा मामला को बताये जाने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2010) कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2012)।

मामले मई 2011 में सरकार को प्रतिवेदित किये गये एवं सितम्बर 2011 में स्मार पत्र निर्गत किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त हैं (फरवरी 2012)।

सरकार रॉयल्टी का सही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आँकड़ों/सूचनाओं की पट्टेधारियों की विवरणियों के साथ तिर्यक जाँच के लिए अन्य विभागों/उपक्रमों के साथ समन्वय के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

6.11 मासिक विवरणियों के प्रस्तुत नहीं करने के लिए अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

झा.ल.ख.स. नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी उत्खनित और हटाये गये लघु खनिज के लिए आगामी महीने की पन्द्रहवें दिन तक निर्धारित प्रपत्र में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा। यदि निश्चित समयावधि के भीतर एक पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह निर्धारित तिथि की समाप्ति के बाद ₹ 20 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹ 2,500 तक अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

हमने जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ में उत्पादन एवं प्रेषण पंजी की नमूना जाँच के दौरान देखा (फरवरी 2011) कि 19 पट्टेधारियों ने अप्रैल 2005 और मार्च 2010 के बीच की अवधि के लिए मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, विभाग ने माँग सृजन करते समय उत्पादन एवं प्रेषण पंजी की जाँच नहीं की और यह मानते हुए कि प्रेषण शून्य है, केवल नियत लगान की माँग की गयी। किसी भी मामले में, अर्थदण्ड जो भुगतेय था, का आरोपण नही किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.48 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामला को बताये जाने के बाद स.ख.प. ने कहा (फरवरी 2011) कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2012)।

मामले मई 2011 में सरकार को प्रतिवेदित किये गये एवं सितम्बर 2011 में स्मार पत्र निर्गत किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त हैं (फरवरी 2012) ।

6.12 अवैध रूप से उत्खनित लौह अयस्क के मूल्य के लिए माँग का सृजन नहीं किया जाना

खा.ख.वि.वि. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जब कोई व्यक्ति, किसी वैधानिक प्रावधान के बिना, किसी भूमि से कोई खनिज निकालता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से निकाले गये खनिज को या जहाँ खनिज निष्पादित कर दिया गया हो, उस खनिज के मूल्य को वसूल करेगा और बिना किसी वैधानिक प्रावधान के भूमि पर कब्जा करने के लिए ऐसे व्यक्ति से किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला है, भी वसूल कर सकती है।

हमने जिला खनन कार्यालय, चाईबासा में वर्ष 2009-10 के लिए अवैध खनन पंजी की नमूना जाँच के दौरान देखा (दिसम्बर 2010) कि अगस्त 2009 में पाँच व्यक्तियों के परिसर में अवैध रूप से 6,900 मीट्रिक टन लौह अयस्क संचित किया गया था। अगस्त 2009 में व्यतिक्रमियों को झा.ख.व्य. नियमावली, 2007 के अधीन अवैध भण्डारण और नियमों के उल्लंधन के लिए कारण पृच्छा का नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का जबाव अभिलेख में नहीं था (दिसम्बर 2010) । नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 15 महीनें से अधिक समय निकल जाने के बाद भी विभाग ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की जब्ती की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। खनिज मूल्य (लौह अयस्क फाइन्स) ₹ 494 प्रति मीट्रिक टन की दर (अगस्त 2009 माह का आई.बी.एम.मूल्य) से, ₹ 55,200 रॉयल्टी सहित, ₹ 34.64 लाख व्यतिक्रमियों से वसूलनीय था ।

हमारे द्वारा मामला को बताये जाने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2010) कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2012)।

मामले मई 2011 में सरकार को प्रतिवेदित किये गये एवं सितम्बर 2011 में स्मार पत्र निर्गत किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त हैं (फरवरी 2012) ।

6.13 कार्य संवेदकों द्वारा अवैध उत्खनन के लिए अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत सिविल कार्य संवेदकों द्वारा लघु खनिजों की खरीद केवल पट्टेधारियों, अनुज्ञप्तिधारियों और प्राधिकृत व्यवसायियों से ही की जानी है। पुन: नियम प्रावधान करता है कि कार्य संवेदकों द्वारा कार्य विभाग को प्रपत्र 'ओ' में शपथ पत्र और प्रपत्र 'पी' में खनिजों की खरीद के स्त्रोत का विवरण, भुगतान किए गये मूल्य तथा प्राप्त की गई मात्रा बतायी गयी हो, विपत्रों के साथ जमा करेगा। इसके बाद कार्य विभाग को खनिजों की प्राप्ति एवं उपभोग का विवरण सत्यापन के लिए प्रपत्र 'ओ' और 'पी' की छाया प्रति खनन विभाग को अग्रसारित करना अपेक्षित है। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में समाहर्ता द्वारा अर्थदण्ड, रॉयल्टी की राशि से अधिक नहीं, आरोप्य है।

हमने जिला खनन कार्यालय, गुमला में वर्ष 2009-10 के दौरान देखा (मार्च 2011) कि 12 कार्य प्रमण्डलों, पंचायत और प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों ने प्रपत्र 'ओ' एवं प्रपत्र 'पी' की प्रति में निष्कासित एवं उपभुक्त खनिजों की विवरणियाँ खनन कार्यालय में जाँच के लिए अग्रसारित किये बिना हीं उपभुक्त खनिजों के लिए ₹ 59.59 लाख रॉयल्टी की कटौती की एवं जमा किया। विभाग ने ₹ 59.59 लाख अर्थदण्ड के आरोपण के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया ।

हमारे द्वारा मामला को बताये जाने के बाद जि.ख.प., गुमला ने कहा (मार्च 2011) कि कटौती की गयी रॉयल्टी की राशि की विस्तृत विवरणी के लिए संबंधित कार्य विभागों को स्मार पत्र निर्गत किया जायेगा। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2012) ।

मामले मई 2011 में सरकार को प्रतिवेदित किये गये एवं सितम्बर 2011 में स्मार पत्र निर्गत किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त हैं (फरवरी 2012) ।